फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

हरिश्चन्द्र उर्फ हरिसिंह बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–136 एल.आर.ए. मु0नं0– 75/2025

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.01.2026	पत्रावली को प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर तलब किया गया। वकील प्रार्थी उपस्थित। जवाब स्टेट प्राप्त हो चुका है, बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि खाता संख्या 495 पुराना 445 तथा खाता संख्या 482 पुराना 430 वाके ग्राम सिकन्दरा तह0 सिकराय जिला दौसा में स्थित है जिसके राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम हरिशचन्द पुत्र रामहंस दर्ज है जबकि प्रार्थी का सही नाम दस्तावेजों में हरिसिंह गुर्जर पुत्र रामहंस गुर्जर है जो कि सही है। इसलिए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि की जावे। प्रकरण संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थी का सही नाम हरिसिंह गुर्जर पुत्र रामहंस गुर्जर दर्ज किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात यथा आधार कार्ड इत्यादि में प्रार्थी का नाम हरि सिंह गुर्जर दर्ज है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में हरिशचन्द दर्ज है इसलिए दस्तावेजात में दर्ज नाम अनुसार शुद्धि किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि में प्रार्थी का नाम हरिशचन्द पुत्र रामहंस के स्थान पर हरिसिंह गुर्जर पुत्र रामहंस गुर्जर दर्ज किए जाने के आदेश तहसीलदार को दिए जाते है। तहसीलदार उपरोक्तानुसार पालना किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	